भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3095

जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है

नई सड़कों, पुलों और एक्सप्रेसवे को नुकसान

3095. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

श्री बैन्नी बेहनन:

एडवोकेट अदूर प्रकाश:

डॉ. नामदेव किरसान:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बारिश के कारण नवनिर्मित सड़कों, पुलों और एक्सप्रेसवे को हुए नुकसान की हालिया घटनाओं की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी अवसंरचनात्मक विफलताओं की परियोजनावार और राज्यवार संख्या कितनी है और तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या जिम्मेदार संविदाकारों या एजेंसियों को काली सूची में डालने या उन्हें दंड देने सहित कोई कार्रवाई की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा भविष्य की राजमार्ग परियोजनाओं में बेहतर निर्माण गुणवत्ता, जल निकासी डिज़ाइन और जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने केरल में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के कई हिस्सों के ढहने की कोई जाँच कराई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चूककर्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) / राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का विस्तृत डिजाइन, विकास और रखरखाव, जिसमें संरचनाएं (जैसे पुल आदि) शामिल हैं, और संबंधित मानक अनुबंध / रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) मोड या बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओटी) मोड या हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर कार्यान्वित कार्य के पूरा होने के बाद दोष देयता अवधि (डीएलपी) / रियायत अवधि के दौरान दोषों का सुधार, संबंधित ठेकेदार / रियायतकर्ता की जिम्मेदारी है।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 22 परियोजनाओं में नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों/राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे, जिनमें पुल आदि जैसी संरचनाएं शामिल हैं, में विभिन्न कारणों से बड़ी कमियां/क्षति होने की सूचना मिली है, जिनमें बारिश के कारण भी शामिल है, और तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार विवरण और कृत कार्रवाई अनुलग्नक में संलग्न है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देशों और संहिताओं में निर्दिष्ट निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजमार्ग निर्माण निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करता है, निष्पादन एजेंसियों द्वारा कार्यस्थल पर कार्यों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए परामर्शदाता [प्राधिकरण के अभियंता (एई)/स्वतंत्र अभियंता (आईई)] नियुक्त किए जाते हैं। निष्पादन एजेंसियों के अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रियायतग्राही/संविदाकार द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे अनुबंध/रियायत अनुबंध की तकनीकी अनुसूचियों में निर्धारित के अनुसार या निष्पादन एजेंसी/एई/आईई द्वारा तय की गई उचित अवधि के भीतर आवश्यक सुधारात्मक/निदानात्मक कार्रवाई करने के लिए रियायतग्राहियों/संविदाकारों के ध्यान में लाया जाता है।

सरकार ने गुणवत्ता संबंधी मुद्दों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित मुद्दों/शिकायतों के बारे में नागरिक फीडबैक के लिए लोक शिकायत पोर्टल, मोबाइल आधारित राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करने की प्रणाली संस्थापित की है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित विभिन्न मुद्दों, जिनमें निर्माण की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं, के बारे में अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से प्राप्त शिकायतों के लिए, सरकार ने वेब पोर्टल के माध्यम से इन शिकायतों का संज्ञान लेने के लिए एक आंतरिक कार्यतंत्र स्थापित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनएच परियोजनाओं के लिए अधिकारियों / रियायतग्राहियों / संविदाकारों द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआई वन/तत्पर नामक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में त्रुटि सुधार सहित गुणवत्ता की निगरानी शुरू की है। इस ऐप का उपयोग फील्ड अधिकारियों / इंजीनियरों / संविदाकारों / रियायतग्राहियों द्वारा सीधे साइट पर, दैनिक और मासिक दोषों की डिजिटल रिपोर्टिंग, निरीक्षण के लिए जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प्ड फोटो प्रस्तुत करने और परीक्षण परिणामों को डिजिटल अपलोड करने के माध्यम से किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों के कार्यान्वयन में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों में सुधार के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं: -

i. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में स्वचालित एवं कुशल/मशीन-सहायता प्राप्त निर्माण (एआई-एमसी) को अपनाना;

ii. कार्य शुरू होने से पहले, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले और उसके बाद कार्य पूरा होने के छह महीने के नियमित अंतराल पर नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (एनएसवी) के माध्यम से सड़क की स्थिति का अनिवार्य मूल्यांकन; समर्पित केंद्रीय सेल के माध्यम से संचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) के दौरान संविदात्मक प्रावधानों के विश्लेषण और प्रवर्तन का उपयोग करके सड़क की स्थिति के मूल्यांकन के लिए एनएसवी प्रणाली का और अधिक सुधार;

iii. समय-समय पर चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता के आवधिक मूल्यांकन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ एकीकृत ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (डीएएमएस) में ड्रोन सर्वेक्षणों से एकत्रित उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी का विश्लेषण;

iv. प्रायोगिक आधार पर चार राज्यों अर्थात् गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और कर्नाटक में अविनाशी परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन (एमक्यूसीवी) की तैनाती, ताकि परियोजना कार्यान्वयन चरणों के दौरान समय-समय पर कार्यों की समग्र स्वास्थ्य और गुणवत्ता का निदानात्मक आकलन किया जा सके;

v. मामला-दर-मामला आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की स्वतंत्र गुणवत्ता लेखा परीक्षा के लिए तृतीय पक्ष के गुणवत्ता लेखा परीक्षकों की तैनाती।

सभी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास/उन्नयन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय वर्षा, उच्च बाढ़ स्तर, जलवायु, भूमि का प्रकार, मिट्टी की श्रेणी आदि पहलुओं को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाता है। तदनुसार, सड़क के किनारे लाइनयुक्त/बिना लाइनयुक्त नालियों, क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं जैसे पुलिया, प्राकृतिक जल धाराओं/जल निकासी आदि पर छोटे और बड़े पुलों का निर्माण, मानक विनिर्देशों और भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) कोड के अनुसार संविदाकार/रियायतग्राही द्वारा परियोजना के लिए अनुबंध के दायरे के अनुसार किया जाता है।

(ङ) और (च) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने केरल राज्य में एनएच-66 पर निर्माणाधीन 17 परियोजनाओं में प्रबलित मृदा (आरएस) दीवारों और ढलान संरक्षण कार्यों के संभावित रूप से कमजोर स्थानों का आकलन करने के लिए 24.05.2025 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

समिति ने ढलानों/तटबंधों और अन्य संवेदनशील स्थानों के लिए अपनाई गई/अपनाई जा रही/अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित सुरक्षा पद्धतियों की पर्याप्तता का आकलन करने और आवश्यक सुधार सुझाने के लिए 11.06.2025 से 14.07.2025 के बीच केरल में एनएच-66 के पूरे खंड का दौरा किया। समिति ने जुलाई, 2025 में क्षेत्रीय अधिकारियों और संबंधित रियायतग्राहियों/ठेकेदारों/आईई/डिजाइनरों के साथ ढलान स्थिरता और आरई दीवार के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया और पाया कि स्थलों पर मौजूदा मिट्टी कम वहन क्षमता प्रदर्शित करती है और अतिरिक्त भूमि सुधार तकनीकों का सुझाव दिया।

अनुलग्नक

'नई सड़कों, पुलों और एक्सप्रेसवे को नुकसान' के संबंध में श्री के. सी. वेणुगोपाल, श्री बैन्नी बेहनन, एडवोकेट अदूर प्रकाश, डॉ. नामदेव किरसान द्वारा दिनांक 07.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3095 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, बारिश सहित विभिन्न कारणों से नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों/राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे, उन पर स्थित अवसंरचनाओं (जैसे पुल आदि) सहित, में रिपोर्ट की गई प्रमुख कमियों/क्षति का कृत कार्रवाई सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण: -

राज्य	क्र. सं.	परियोजना / खंड का नाम	घटना वर्ष	प्रमुख क्षतियां/दोषों का विवरण	की गई कार्रवाई
अरुणाचल प्रदेश	**1**	**एनएच-**713ए और एनएच-13 के पापू **-** यूपिया **-** होज **-** पोटिन खंड पर किमी **31**.000 (होज मार्केट**)**, किमी **38**.300 (याबी गांव**)**, किमी **39**.000 (झरना**)**, किमी **39**.700 (अप्पा क्रशर**)** और किमी **40**.300 (क्रशर प्वाइंट**)** पर स्लिप जोन का स्थायी समाधान	2024	आर.ई. दीवार ढह गई	ठेकेदार द्वारा शुरू किए गए दोषपूर्ण कार्य का सुधार। ठेकेदार पर अनुबंध मूल्य का 5**%** जुर्माना लगाया जाएगा।
आंध्र प्रदेश	**2**	चिन्ना से विजयवाड़ा बाईपास को छह लेन का बनाया जाएगा एनएच-16 के विजयवाड़ा**-** गुंडुगोलानु खंड में ऑटुपल्ली **(**डिज़ाइन अध्याय **0**+000) से गोलापुडी **(**डिज़ाइन अध्याय **30**+000) तक	2024	आर.ई. दीवार के निर्माण में दोष।	रियायतग्राही ने आर.ई. दीवार विशेषज्ञ की सिफारिश/सुझाव के आधार पर सुधार कार्य शुरू किया। रियायतग्राही से क्षतिपूर्ति के रूप में **10**,99,235 /- रुपये वसूल किए गए।
हिमाचल प्रदेश	**3**	परवाणू **-** सोलन खंड एनएच-22 (नया एनएच-05) को किमी **67**.000 से किमी **106**.139 तक चार लेन का बनाना	2022	एनएच 05 के परवाणू-सोलन खंड के परियोजना राजमार्ग **(**सुरंग तक पहुंच मार्ग**)** के दो-लेन हिस्से पर किमी **3**.130 से **3**.170 के बीच सड़क खंड का पतन।	ईपीसी ठेकेदार द्वारा जीर्णोद्धार कार्य पूरा कर लिया गया है

राज्य	क्र. सं.	परियोजना / खंड का नाम	घटना वर्ष	प्रमुख क्षतियां/दोषों का विवरण	की गई कार्रवाई
हरियाणा	**4**	दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे **(**पैकेज **2** और 3)	2024	रटिंग	रखरखाव में देरी के लिए ठेकेदार पर 91,56,292 /- रुपये का हर्जाना लगाया है । ठेकेदार द्वारा गड्ढों को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है और गड्ढे वाले अधिकांश हिस्से को ठीक कर दिया गया है।
गुजरात	**5**	सांचौर-संतालपुर पैकेज**-4**	2025	जून 2025 में बारिश के बाद हाल ही में गड्ढे**,** दरारें और सतह विरूपण **/** संकट देखा गया**;** कुछ स्थानों पर गंभीर गड्ढे बन गए।	**2**.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है तथा एक वर्ष तक या सफल सुधार होने तक, जो भी बाद में हो**,** उस पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है।
	6	वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे **(**पैकेज **-** I, II और III)	2024	यह खंड बहुत जर्जर हालत में नहीं है। हालाँकि, इसमें मामूली झटके**/**उतार**-**चढ़ाव देखे गए ।	रियायतग्राही ने सुधार कार्य शुरू कर दिया है। पैकेज- । में जर्क सुधार में देरी के कारण 16.42 करोड़ रुपये रोक लिए गए हैं।
कर्नाटक	7	एनएच-66 के किमी 147.9000	2024	भूस्खलन	रियायतग्राही द्वारा शिरूर में प्रारंभिक ढलान स्थिरीकरण कार्य शुरू किया गया।
	8	एनएच**-**169 (मंगलुरु के वामनजूर **(**ओमानजुरु**)** शहर के पास केथिकल्लू पहाड़ी) दक्षिण कन्नड़ जिले में तालुका**)**	2024	भूस्खलन	ढलान पर बेंचिंग और बैकफिलिंग का कार्य पूरा हो गया है; पानी को मोड़ने के लिए नालियों का निर्माण किया गया है**;** फ्लड लाइट्स और साइनबोर्ड जैसे सुरक्षा उपाय लगाए गए हैं।
	9	एनएच-75 का हसन मरनाहल्ली खंड	2024	किमी 227.900 पर भूस्खलन	मिट्टी का कीलीकरण (सोइल नेलिंग), हाइड्रोसीडिंग और नालियों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है।
केरल	**10**	एनएच-66 का चेंगला**-**नीलेश्वरम खंड	2024	दिनांक 16.06.2025 को चैनेज 58+035 से चैनेज 58+100 (आरएचएस) पर मिट्टी की कीलें गिरने की घटना घटी**,**	एनएचएआई ने रियायतग्राही और उसके प्रमोटर को एक महीने की अवधि के लिए या रियायतग्राही द्वारा ढलान संरक्षण कार्यों में सुधार शुरू करने तक भविष्य में बोली लगाने से निलंबित कर दिया

राज्य	क्र. सं.	परियोजना / खंड का नाम	घटना वर्ष	प्रमुख क्षतियां/दोषों का विवरण	की गई कार्रवाई
				जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ।	है। रियायतग्राही पर प्रतिबंध भी जारी किया गया है। एई के वरिष्ठ पुल अभियंता को साइट से हटा दिया गया है।
	11	एनएच**-66** का नीलेश्वरम**-**थालिपरंभा खंड	2025	कटे हुए भाग में असुरक्षित मिट्टी का खिसकना तथा सड़क पर मलबा जमा होना।	सुधार कार्य किया गया और मध्य भाग में एहतियाती बैरिकेडिंग के साथ यातायात बहाल कर दिया गया।
	12	वलंचेरी बाईपास के आरंभ से एनएच-66 (पुराना एनएच**-**17) के कपिरिक्कड़ खंड तक छह लेन का कार्य, डिजाइन चै**नेज 298**+500 (एक्स. किमी **304**.250) से डिजाइन चै**नेज 335**+850 (एक्स. किमी **349**.260) तक	2025	आरई दीवार ढह गई	ठेकेदार और स्वतंत्र इंजीनियरिंग फर्म को 01 महीने की अवधि के लिए या विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच पूरी होने तक, जो भी बाद में हो, चल रही/भविष्य की बोली में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।
	13	एनएच-66 का अझियूर**-**वैंगलम खंड	2024	किमी 191+820 से किमी **192**+100 (बाएं हाथ**)** तक, किमी **193**+400 से किमी **193**+540 तक मिट्टी की कील लगाने का कार्य ध्वस्त हो गया।	रियायतग्राही को 1 वर्ष तक के लिए डीबार + 50 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक के जुर्माने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। रियायतग्राही को अपने खर्च पर सुधार/उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया गया। आईई को 1 वर्ष तक के लिए डीबार और 20 लाख रुपये के जुर्माने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
मिजोरम	**14**	मिजोरम राज्य में आवश्यक स्थानों पर रिटेनिंग दीवारों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग**-**154 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग**-**6) पर किमी **119**/000 से किमी **147**/00 (लंबाई	2023	गड्ढों और खाइयों की पहचान की गई।	ठेकेदार की निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली गई। मरम्मत का कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया।

राज्य	क्र. सं.	परियोजना / खंड का नाम	घटना वर्ष	प्रमुख क्षतियां/दोषों का विवरण	की गई कार्रवाई
		= 27.98 किमी**)** के बीच सुदृढ़ीकरण			
नगालैंड	15	कोहिमा और माओ के बीच एनएच-02 पर **191**.980 किमी से **192**.060 किमी **(**फेसामा गांव के पास**)**	2025	अवतलन क्षेत्र उत्पन्न हुआ; 110-150 मीटर की लंबाई में लगभग **22** मीटर तक धंसा हुआ।	जीर्णोद्धार कार्य शुरू
राजस्थान	**16**	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे एनई-4 (पैकेज **4**, 5, 6, 7,8, 9 और **16)**	2024	रटिंग**,** रेनकट्स**,** पॉटहोल्स**,** धंसाव**,** आर.ई. दीवार का उभार	पैकेज-4 में देरी से रखरखाव के लिए **1**.06 करोड़ रुपये और पैकेज-5 के लिए **88**.32 लाख रुपये का हर्जाना लगाया गया। इसके अलावा, दोषों के स्थायी सुधार हेतु विस्तृत अध्ययन के लिए आईआईटी खड़गपुर को नियुक्त किया गया है। अनुबंध समझौते के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में दोषों का सुधार न करने पर प्रत्येक ठेकेदार (पैकेज-6, 7, 8, 9) पर **50** लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। ठेकेदार ने पैकेज-16 में हुए नुकसान की भरपाई कर ली है।
	17	अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारे के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग-754के के संगरिया **(**चौटाला के निकट**)-**रासीसर **(**बीकानेर के निकट**)** खंड के किमी **28**+70 से किमी **53**+0 तक **6-लेन पहुंच-**नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग का निर्माण	2025	कुछ स्थानों पर सवारी की गुणवत्ता और निपटान में कमियां देखी गईं	**(**i) ठेकेदार पर **50**.00 लाख रुपये का हर्जाना लगाया गया। **(**ii) खराब पर्यवेक्षण के कारण प्राधिकरण इंजीनियर टीम के दो प्रमुख कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया।
त्रिपुरा	**18**	श्रीरामपुर से खोवाई किमी 75.700 से किमी **101**.300 (कैलाशहर**)** खोवाई पैकेज-**5)**	2024	विभिन्न हिस्सों में संकट/स्थिरता	ठेकेदार द्वारा सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश	**19**	एनएच-74 के नगीना-काशीपुर खंड का 4	2024	पीक्यूसी पैनल दरारें, गड्ढे**,**	ईपीसी अनुबंध समझौते की अनुसूची-एम के

राज्य	क्र. सं.	परियोजना / खंड का नाम	घटना वर्ष	प्रमुख क्षतियां/दोषों का विवरण	की गई कार्रवाई
और उत्तराखंड		लेन		सड़क संकेत , पीक्यूसी पैनल दरारें, गड्ढे, सड़क संकेत, वर्षा कट आदि।	अनुसार ठेकेदार से वसूली शुरू की गई।
पश्चिम बंगाल	**20**	एनएच-34 के बहरामपुर **-** फरक्का खंड को किमी **191**.700 से किमी **292**.294 तक चार लेन का बनाना	2024	गड्ढे, दरारें, गड्ढे, गड्ढे, दरारें, गड्ढे, किनारे टूटना	रियायतग्राही पर **2**.68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया ।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**21**	**एनएच-**4 के अंडमान ट्रंक रोड में किमी **181**.00 से किमी **206**.00 खंड का हार्ड शोल्डर सहित इंटरमीडिएट लेन में पुनर्वास (पैकेज**- VII)**	2024	विभिन्न स्थानों पर फुटपाथ का धंसना, संकट	सुधार कार्य पूरा हो गया।
दिल्ली	22	शहरी विस्तार सड़क-II (पैकेज **2)**	2024	चैनेज 17+450 से चैनेज **17**+490 तक आरई दीवार का आंशिक रुप से ढहना	ठेकेदार और सहायक अभियंता को कड़ी चेतावनी जारी की गई। ठेकेदार ने आर.ई. दीवार का पुनर्निर्माण किया।

*****